



299(1)

दृश्यांक— 2288708
2288710

नव चैताना कॉन्स्‌ट. 10 असोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : २९६ /०५/७६/एक/२०१५-१६
सेवा में,

दिनांक : 25 अगस्त 2015

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-हरदोई।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूबा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन घस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय

अधिकारण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंघर्षक बाहुल्य वर्सिटीयों तथा मलिन वर्सिटीयों में इन्स्ट्रलाइंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० मे०)			
पैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
यूनियन बैंक आर्क इंडिया	407702010042126	IFSC Code UBIN0540773	14.131

क्रमांक सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वर्ती/वार्ड का नाम	(धनराशि लाख रु० में)
1	हरदोई	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मल्लावा०	वार्ड नं० 17, मोहदीनपुर में गहावीर पाण्डे के मकान से बद्री के मकान तक, रजाक के मकान से रामसुददरीन के मकान तक, शकील के मकान से सददीक के मकान तक, छोटेलाल के मकान से गंगाराम के मकान तक, इकबाल के मकान से राजकुमार आरख के मकान तक एवं रिकू के मकान से छोटेलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.735
2	हरदोई	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० मल्लावा०	वार्ड नं० 22 नुसरत नगर में रफत भाई के मकान से चांद गिया के मकान तक एवं हाजी रसीद के मकान से रहगत के मकान तक इण्टरलाकिंग सङ्क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.396
	योग				14.131

उपरोक्त अपमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में री०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये—

- उपरोक्त सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुलय शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वसियों तथा भलिन वरियों में सीधीती रोड अथवा इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की खापना योजना हेतु स्वीकृत ठीकानों/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात घोलोग्राफ प्रत्येक दशा में रामबन्धित पत्रायली में रखा जाये।
 - स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
 - प्रश्नगत परियोजना में प्ररकारित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर साक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्परतात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
 - अवगुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्बलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



299/2

दूसरा - 2286700
2286710

नव फेला केन्द्र, 10 अशोक पार्क, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाएँ या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय व्यवहार के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के रुचांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रथ-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवगुप्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अदाशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अदाशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवगुप्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित गद में व्यय की जाएगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्ण व्यथानिधम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटीती सम्बन्धी अग्रिमार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवगुप्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुगम्य न होगा, शासन द्वारा अवगुप्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवगुप्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के रामन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवगुप्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवगुप्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रकर कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवगुप्त किया जा सके।

मर्दीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।।
3. अधिकारी अधिकारी—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक